

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)
कार्यालय आदेश

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-1/1/2013/आई0आर0 दिनांक-7/17.10.2016 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-16690 दिनांक-15.12.2016 से प्राप्त दिशानिदेश के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4 के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाय :-

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त हान वाले सभी आवेदनों तथा अपील के संदर्भ में की गयी कार्रवाई को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत व्यक्ति विशेष से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाओं को प्रकाशित नहीं किया जायेगा क्योंकि व्यक्तिगत सूचनाओं से जन कल्याणकारी कार्यों का संबंध नहीं होता है।

3. व्यक्तिगत सूचनाओं में निम्नलिखित सूचनाओं को विन्हित किया गया है:-
आवेदक का नाम/पदनाम/पता/ई-मेल आई0डी0/दूरभाष संख्या तथा मोबाईल नम्बर।

4. गृह विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत सभी लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायेगे।

ह0/-

(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 3/सु0को0 (वेब प्रकाशन)--01/2017..... गृ0आ0/पटना दिनांक फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :- गृह विभाग/पुलिस महानिदेशक कार्यालय, के सभी लोकसूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार/श्री राजकिशोर प्रसाद, सरकार के उप सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 3/सु0को0 (वेब प्रकाशन)--01/2017..... गृ0आ0/पटना दिनांक फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के आपर सचिव को सूचनाार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 3/सु0को0 (वेब प्रकाशन)--01/2017..... गृ0आ0/पटना दिनांक फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

5/2/17